निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1942 (श0)
(सं0 पटना 485) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2020

विधि विभाग

अधिसूचना
10 अगस्त 2020

सं० एल०जी०–01–04/2020–4388/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 7 अगस्त 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 12, 2020]

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2020

बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के एकहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**–(1) यह अधिनियम "**बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2020**" कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा–7 का प्रतिस्थापन।**–उक्त अधिनियम, 2010 की धारा–7 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :–

> **"7. औद्योगिक भूमि का सम्परिवर्तन।–उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित उद्योगों से संबंधित कृषि भूमि का गैर–कृषि भूमि में सम्परिवर्तन, समय–समय पर, सक्षम प्राधिकार की पूर्व अनुमति से स्वीकृत किया जा सकता है।**
>
> **परन्तु, अपेक्षित फीस, जो भी हो, का भुगतान उद्योग विभाग की प्रचलित नीति के अनुरूप किया जायेगा।"**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

10 अगस्त 2020

सं० एल०जी०–01–04/2020–**4389/लेज**—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 07 अगस्त 2020 को अनुमत **बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2020** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 12, 2020]

The Bihar Agriculture Land (Conversion for Non-Agriculture Purposes) (Amendment) Act, 2020.

AN

ACT

To amend the Bihar Agriculture Land (Conversion for Non-Agriculture Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11 of 2010)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventith first year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title, extent and Commencement.*****—**(1) This act may be called The Bihar Agriculture Land (Conversion for Non-Agriculture Purposes) (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from such date as notified by the State Government in the Official Gazette.

2. ***Bihar Agriculture Land (Conversion for Non-Agriculture Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11 of 2010).***—Section-7 of the said Act, 2010 shall be substituted by the following:-

"7. Conversion to Industrial Land.-Conversion of agricultural land to non-agricultural land related to industries notified by the Department of Industry, Government of Bihar, may be allowed, from time to time, with the prior permission of the competent authority;

Provided that the requisite fee, if any, shall be paid as per the prevailing policy of the Department of Industry."

By Order of the Governor of Bihar,
P.C. Choudhary,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 485-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in